प्रकरण संख्या 81/2021 देवीलाल बनाम श्रीमती शंकरी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विजनवास में आराजी नंबर 2607, 2609 से 2615, 2633 से 2641, 2648, 2652 व 2653 कुल किता 20 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। वादिया का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष प्रताप जी के 3 पुत्रियां वादिया शंकरी व प्रतिवादी संख्या 1 सकूबाई व प्रतिवादी संख्या 2 टिपुबाई हुई, किन्तु प्रताप जी मृत्यु होने पर प्रतिवादीगण ने आपस में मिलीभगत कर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया एवं वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड से वंचित कर दिया, जबकि वादग्रस्त भूमि मौरूसी है, जिसमें वादिया के पिता प्रताप जी का 1/3 हिस्सा अंकित है, जिससे वादिया का वादग्रस्त भूमि में 1/9 हिस्सा बनता है एवं इसी अनुसार वादिया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर वादिया को 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। उपरोक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 से 6 अधिनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोन्डेन्ट 7 सरकार ने किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं करता चाहा, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.07.2010 से वादिया का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 22.09.2015 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्याया[illegible] यह अपील दिनांक 12.10.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested

	नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को दिनांक 05.10.2021 को उक्त निर्णय की नकल प्राप्त होने से उक्त निर्णय की जानकारी हुई। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 7 श्री गुलाब रेबारी का निधन दिनांक 12.05.2021 को निर्वसतीय हो गया, जिसके एक मात्र वैध प्रतिनिधि अपीलान्ट देवीलाल पुत्र ही है, जिससे उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने मात्र 29 बीघा 2 बिस्वा बाबत् ही वाद प्रस्तुत किया, जबकि सहखातेदारी की भूमि 35 बीघा है, जिसमें करीब 6 बिस्वा भूमि छोड़ दी गयी है, जो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्से में आयी है। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, बल्कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तथा विभाजन के समय पूर्व में कब्जे एवं भूमि के मूल्य का ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे विभाजन में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 20 की पालना नहीं हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा नये सिरे से विभाजन हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के स[illegible] न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 380 एवं आर.[illegible]. 2017 (1) पेज 689 प्रस्तुत की।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 81/2021 देवीलाल बनाम श्रीमती शंकरी

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया तो पाया कि फर्द बंटवारा मात्र वादीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की उपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, सभी पक्षकार वक्त बंटवारा उपस्थित नहीं थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था इसलिए स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार करना चाहिए था। तहसीलदार अपनी शक्ति को डेलीगेट नहीं कर सकता, जैसाकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों से स्पष्ट है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार किया जाकर यदि उस पर किसी पक्षकार की आपत्ति हो तो सर्व प्रथम उसका निस्तारण किया जाकर सभी पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन की डिक्री जारी की जावे।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
[illegible]ध अधिकारी
उप[illegible] अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested